न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 115/2024 राजस्व वाद

1. गोरधन लाल पुत्र श्री नैना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा, बजाडो का बाडिया तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भीमराज पुत्र श्री रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– पीपली का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री गंगादान चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गिरवर सिंह पुत्र श्री ईश्वरदान चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बृजराज सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सनु कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय– — प्र.सं. 1 से 7
3. पेरोकार सरकार ——प्रति.सं. 8

दिनांक– 07/10/2024

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 390 रकबा 1.4417 हेक्टयर, आराजी नम्बर 391 रकबा 0.7082 हैक्टयर, आराजी नम्बर 399 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 400 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 401 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 402 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 403 रकबा 0.1265 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 2.7317 हैक्टयरहै मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- गोरधन लाल पुत्र नेना जाति गुर्जर सा. बजाड़ो का बाडिया, भीमराज पुत्र श्री रामा गुर्जर सा. पीपली का बाडिया, गोपाल सिंह पुत्र गंगादान जाति चारण सा. देह खातेदार (वादीगण)

खसरा नम्बर व रकबा -**शून्य**

नोट- ग्राम सेहणुन्दा का वर्तमान खाता संख्या 48 किता 7 रकबा 2.7317 हैक्टयर व खाता संख्या 294 किता 24 रकबा 8.1759 हैक्टयर पूर्व मे वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाता संख्या 48 किता 31 रकबा 10.9076 हैक्टयर दर्ज था, जिसके अनुसार वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा प्रकरण संख्या 14/2024 से खाता संख्या 294 किता 24 रकबा 8.1759 हैक्टयर मे प्राप्त कर लिया है। अतः खाता संख्या 48 किता 07 रकबा 2.7317 हैक्टयर मे वादीगण का हिस्सा शून्य रहेगा।

2) खातेदार का नाम- प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह 76/120 ; गिरवर सिंह पुत्र श्री ईश्वरदान हिस्सा 1/12, नाबालिग कुलदीप सिह पुत्र श्री रघुवीर सिह नाबालिग संरक्षक सरपस्त माता रामकंवर हिस्सा 34/600 नाबालिग पृथ्वीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबालिग सरक्षक सरपरस्त माता रामकंवर हिस्सा 34/600 नाबालिग बृजराजसिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबालिग संरक्षक माता रामकंवर हिस्सा 34/600, सनुकंवर पुत्री रधुवीर सिंह हिस्सा 34/600 रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह हिस्सा 34/600 जातियान चारण साह. देह खातेदार के नाम -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	390	1.4417
2.	391	**0.7082**
3.	399	0.0506
4.	400	0.1012

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

5.	401	0.2403
6.	402	00632
7.	403	0.1265
योग	किता 07	2.7317 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)